विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर-

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
25-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि दिनांक 25 जनवरी, 2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपईडीह, थाना-कौड़िया, जनपद-गोण्डा में प्रसव कराने के दौरान की गयी लापरवाही व तीमारदारों/मरीजों से किये गये अभद्र व्यवहार पर कार्यवाही कराये जाने हेतु आई0जी0आर0 एस0 संख्या-12183240160791 के माध्यम से दिनांक 14 सितम्बर, 2024 को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्रेषित किया गया है ?	जी हाँ।
(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या-क्या गम्भीर आरोप थे और उन आरोपों में किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गया है और उक्त प्रार्थना-पत्र में किये गये अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?	उक्त संदर्भित पत्र में श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी, स्टाफ नर्स (संविदा) के विरूद्व प्रसव के नाम पर अवैध वसूली, कई दिन लगातार डयूटी पर न आने आदि का आरोप था। कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/63/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/1997, दिनांक 29.01.2024 में निहित प्राविधानों के अनुरूप शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश मिश्रा, रूपईडीह, जनपद गोण्डा द्वारा प्रकरण से संबंधित साक्ष्य/शपथ पत्र न उपलब्ध कराये जाने के कारण उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2024 को दिनांक 13.09.2024 को निक्षेपित कर दिया गया है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री